

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

### कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 219 वीं बैठक दिनांक 27.08.2014 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में "चिन्तन" कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में एजेण्डा संख्या 1 से 7 व अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-1, 2 व 5 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक एमपी/बीपीसी (एलपी-1) से संबंधित है एवं एजेण्डा संख्या 8 से 13 एवं अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-3 व 4 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक बीपीसी (एलपी-11) से संबंधित है। जिसका कार्यवाही विवरण संबंधित अति. मुख्य नगर नियोजक द्वारा तैयार किया गया है जो निम्नानुसार है:-

बैठक में समिति के निम्न सदस्यो ने भाग लिया:-

1. श्री पवन अरोडा, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
3. श्रीमती नलिनी कटोटिया, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि), जविप्रा, जयपुर।
4. श्री चन्द्रशेखर पाराशर, अति. मुख्य नगर नियोजक (एमपी/बीपीसी-1)/सदस्य सचिव, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री नीरज तिवाडी, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक बीपीसी (एलपी-11) जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित हुए:-

1. श्रीमती आशा अवस्थी, वरिष्ठ नगर नियोजक, (एमपी), जविप्रा, जयपुर।
2. श्री श्रीनाथ माहेश्वरी, वरिष्ठ नगर नियोजक, बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।
3. श्री लोकेश सहल, उपायुक्त जोन-10, 10ए, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री सुनील भाटी, उपायुक्त जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री नरेश सिंह तंवर, उपायुक्त जोन-15, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री अवधेश सिंह, उपायुक्त जोन-12, 12ए जविप्रा, जयपुर।
7. श्री हरिसिंह मीणा, उपायुक्त जोन-2, जविप्रा, जयपुर।
8. श्री मृणाल जोशी, उप नगर नियोजक, बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।
9. श्री प्रभात गोस्वामी, ओएसडी (पी.आर.), जविप्रा, जयपुर।
10. श्री नरहरि सिंह पंवार, सहायक नगर नियोजक, (मास्टर प्लान), जविप्रा, जयपुर।
11. श्री योगेश कुमार, सहायक नगर नियोजक, (जोन-12), जविप्रा, जयपुर।
12. श्री जितेन्द्र त्रिपाठी, अरबन प्लानर, (जोन-13), जविप्रा, जयपुर।
13. सुश्री बलविन्द्र कौर, अरबन प्लानर, (जोन-10), जविप्रा, जयपुर।
14. श्री भगवान सहाय सैनी, तहसीलदार, (जोन-6), जविप्रा, जयपुर।



**एजेण्डा विवरण:-**

**एजेण्डा**

**219/27.08.2014**

विषय :- बीपीसी (एलपी) की बैठक क्रमांक 218 वीं बैठक दिनांक 07.08.2014 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि के सम्बन्ध में।

बीपीसी (एलपी) की 218 वीं बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक: जविप्रा/सदस्य सचिव बीपीसी (एल.पी.) /बीपीसी/2014/डी-303 दिनांक 14.08.2014 को जारी किये जा चुके हैं। भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 217वीं बैठक दिनांक 07.08.2014 के अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 3 के कार्यवाही विवरण में "Writ Petition संख्या 1884/10 श्री गुलाब कोठारी बनाम State व अन्य" अंकित था, जिसमें Writ Petition संख्या 1884/10 के स्थान पर Writ Petition संख्या 1554/04 पढा जावें।

समिति द्वारा शेष कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

**एजेण्डा-1**

**219/27.08.2014 (मा. प्लान)**

विषय:- ड्राफ्ट अनुमोदित/अनुमोदित सेक्टर प्लानों में सड़क के सहारे दोनों ओर व्यावसायिक भू-पट्टी दर्शाने बाबत।

प्रकरण पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि सहकारी समिति की योजनाएँ, गुप हाउसिंग फ्लेट्स, पूर्व में जविप्रा द्वारा किये जा चुके कमिटेमेन्ट एवं मास्टर विकास योजना-2025 में सड़कों के सहारे-सहारे दर्शित व्यावसायिक, मिश्रित व आवासीय के अतिरिक्त अन्य भू-उपयोगों पर सेक्टर प्लानों में सड़क के सहारे दोनों ओर व्यावसायिक भू-पट्टी लागू नहीं होगी।

उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्ति/सुझावों का निष्पादन कर प्रकरण को पुनः अनुमोदन हेतु बीपीसी (एलपी) की बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

**एजेण्डा संख्या-2**

**219/27.08.2014 (जोन-2)**

विषय :- बीपीसी (एल.पी.)/एलपी-प्रथम की 217वीं बैठक दिनांक 30.06.14 के अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-1 में निजी खातेदारी की भूमि को योजना से पृथक कर निजी खातेदारी में नियमन किये जाने बाबत प्रकरण पर विचार विमर्श पश्चात उक्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया के सम्बन्ध में बिन्दुवार रिपोर्ट के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रश्नगत भूखण्ड संख्या 1 से 3 तथा 7 से 10 का नियमन नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया।

*रजि. 2011,*



**एजेण्डा संख्या-3**

**219/27.08.2014 (जोन-6)**

विषय :- म्युचुअल गृ.नि.स.स. की योजना तारानगर ए झोटवाडा में 100 फीट चौड़ी सैक्टर रोड के एलाइमेन्ट में परिवर्तन बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत सडक को अनुमोदित योजना मानचित्र अनुसार 30 फीट ही रखा जावें एवं जोन द्वारा जारी किये गये भूखण्ड संख्या ए-5 के साइट प्लान को संशोधित कर 100 फीट के स्थान पर अनुमोदित योजना मानचित्र अनुसार 30 फीट चौड़ी सडक दर्शाकर पुनः जारी किया जावें।

**एजेण्डा संख्या-4**

**219/27.08.2014 (जोन-10)**

विषय :- सुमेल आवासीय योजना प्रस्तावित मास्टर प्लान रोड के अलाइन्मेन्ट बदलाव के अनुमोदन बाबत।

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर मास्टर प्लान में दर्शित 30 मीटर चौड़ी सडक जो योजना के बीच में से गुजर रही हैं को विलोपित किये जाने का निर्णय लिया गया।

मास्टर विकास योजना-2025 में सुमेल योजना का कुछ भाग आवासीय, आंशिक भाग District Centre व आंशिक भाग Tourist Facility में दर्शाया गया है। चूंकि योजना मास्टर विकास योजना-2025 के पूर्व से अनुमोदित है अतः कमिटेन्ट मानते हुये योजना का भू-उपयोग आवासीय मानकर अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।

योजना के पूर्व में अनुमोदित मानचित्र में दर्शित Road, Commercial/community Utilities/Public Facilities, Sr. Sec. School एवं Primary School अंकित था जिस पर नये आवासीय भूखण्ड सृजित किये गये हैं। उक्त संशोधनों को समिति ने विचार विमर्श कर योजना में संशोधन मानकर अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।

योजना मानचित्र में दर्शित 75 मीटर की सडक के एलाइमेन्ट को मास्टर प्लान शाखा के सुझाव अनुसार किये जाने का निर्णय लिया गया।

मास्टर विकास योजना-2025 के किये गये उक्त संशोधनों को पृथक से प्राधिकरण की बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।





**एजेण्डा संख्या-5**

**219/27.08.2014 (जोन-13)**

विषय :- सीकर रोड की चौड़ाई के संबंध में उच्च मार्ग नियंत्रण विनियम 2001 में संशोधन करने बाबत।

प्रकरण पर समिति द्वारा सभी तथ्यों पर विचार विमर्श किया गया मास्टर विकास योजना-2011 के भू उपयोग मानचित्र में सीकर रोड को Urbanisable area limits near Harmada to JDA region boundry तक 300 फीट + 100 फीट दोनों ओर Plantation Corridor दर्शाया गया है व मास्टर विकास योजना-2025 के वॉल्यूम - 2 के पृष्ठ 107 पर अंकित विवरण अनुसार उक्त सड़क को "No Change" अंकित किया गया परंतु Urbanisable Limits Near Harmada के स्थान पर Chandwaji bye pass road near Udaipuriya Village to Jaipur Region Boundry अंकित किया गया है जिसके कारण Plantation Corridor निर्धारण में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह तय किया गया कि Written Text तथा नक्शे में Deference होने के कारण यह समस्या उत्पन्न होना प्रतीत हो रही है। Chandwaji bye pass road near Udaipuriya Village to Jaipur Region Boundry के स्थान पर मास्टर विकास योजना-2011 के अनुसार ही मास्टर विकास योजना-2011 में दर्शायी गई Urbanisable Limits Near Harmada to Jaipur Region Boundry अंकित किया जावें।

**एजेण्डा संख्या-6**

**219/27.08.2014 (जोन-15)**

विषय :- अजमेर रोड से बगरूखुर्द को जाने वाली मास्टर विकास योजना की 100 फीट सड़क एवं एकजस्टिंग रोड के एलाईमेंट के संबंध में।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया मास्टर विकास योजना -2025 की 100 फीट सड़क को जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार ओमेक्स सिटी तक एकजस्टिंग रोड पर किये जाने का निर्णय लिया गया एवं आबादी क्षेत्र को बचाते हुये जोन द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार सड़क पर लूप बनाकर दक्षिण दिशा में मास्टर विकास योजना-2025 की सड़क पर जोड़े जाने का निर्णय लिया गया। उक्त प्रस्ताव अनुसार आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये जावें व आपत्ति/सुझावों के निस्तारण के पश्चात प्रकरण को पुनः बीपीसी (एलपी) के समक्ष रखा जाने का निर्णय लिया गया।

**एजेण्डा संख्या-7**

**219/27.08.2014 (जोन-16)**

विषय :- पृथ्वीराज नगर में ग्राम झोटवाडा व गोकुलपुरा में जविप्रा की 204 बीघा क्षेत्रफल की रिक्त भूमि पर सृजित गोकुल नगर योजना की आंतरिक 18 मीटर चौड़ी सेक्टर सड़कों के अलाइन्मेंट में संशोधन बाबत।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर जविप्रा की 204 बीघा क्षेत्रफल की रिक्त भूमि पर दिनांक 10.06.2014 को पीडब्ल्यूसी की बैठक द्वारा अनुमोदित आवासीय योजना गोकुल नगर की आंतरिक 18 मीटर चौड़ी एकीकृत सेक्टर प्लान 'ए' की सड़कों के अलाइन्मेंट को अनुमोदित योजना मानचित्र अनुरूप Post Facto अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।





### एजेण्डा संख्या-8

219/27.08.2014 (जोन-7)

विषय :- निजी खातेदार की आवासीय योजना कृष्णा कुंज में अफोर्डेबल हाउसिंग हेतु आरक्षित ई. डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. को रिलीज किये जाने के संबंध में।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 3(633)नविवि/3/2012 दिनांक 18.07.2012 के अनुसार जिन योजनाओं की 90बी की कार्यवाही दिनांक 23.12.2009 से पहले की जा चुकी है, उनमें अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी के प्रावधान अनुसार ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. हेतु क्षेत्र/भूखण्ड लिया जाना आवश्यक नहीं है। अतएव जोन के प्रस्ताव अनुसार योजना के ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के भूखण्डों को सामान्य आवासीय में रिलीज किये जाने का निर्णय लिया गया।

### एजेण्डा संख्या-9

219/27.08.2014 (जोन-13)

विषय :- आवेदक बनवारी लाल पुत्र रामकिशोर, सत्यनारायण पुत्र बनवारी लाल द्वारा राजस्व ग्राम चौमू के खसरा नं. 6493/3 रकबा 0.03 हैक्टेयर भूमि पर व्यावसायिक (दुकानें) प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर जोन द्वारा प्रस्तावित उपविभाजन का अनुमोदन किया गया। नियमानुसार निर्धारित लेय शुल्क जमा करवाकर प्रकरण का निष्पादन कर दिया जावे। उपविभाजन के साइट प्लान जारी करते समय नियमानुसार पार्किंग स्पष्ट रूप से दर्शायी जावे।

### एजेण्डा संख्या-10

219/27.08.2014 (जोन-13)

विषय :- आवेदक श्री गौरव पुत्र श्री महेन्द्र हि. 23/300 श्रीमती मोहनी देवी धर्मपत्नी श्री रमेश चन्दहि. 46/300 श्री गीरीराज पुत्र कन्हैयालाल द्वारा राजस्व ग्राम चौमू के खसरा नं. 6493/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर भूमि पर व्यावसायिक (दुकानें) प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर जोन द्वारा प्रस्तावित उपविभाजन का अनुमोदन किया गया। नियमानुसार निर्धारित लेय शुल्क जमा करवाकर प्रकरण का निष्पादन कर दिया जावे। उपविभाजन के साइट प्लान जारी करते समय नियमानुसार पार्किंग स्पष्ट रूप से दर्शायी जावे।

### एजेण्डा संख्या-11

219/27.08.2014 (जोन-12)

विषय :- सनसिटी टाउनशिप फेज-द्वितीय एक्सटेन्सन-2 आवासीय योजना अनुमोदन बाबत्।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर योजना का अनुमोदन निम्न निर्णय लिये जाकर किया गया।

1. ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के भूखण्ड आवेदक द्वारा सनसिटी फेज द्वितीय में प्रस्तावित किये गये है जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया।

—  
5



### एजेण्डा संख्या-12

219/27.08.2014 (जोन-12)

विषय :- सुशान्त सिटी-द्वितीय आवासीय योजना अनुमोदन बाबत।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि जोन के प्रस्ताव अनुसार भूखण्ड संख्या 47 व 48 को पार्क के क्षेत्र में शामिल करवा कर एवं योजना में भूखण्डों की संख्या के 5 प्रतिशत इन्फार्मल कामर्शियल की 10'X10' की दुकाने प्रस्तावित करवाकर संशोधित योजना मानचित्र लेकर निदेशक (आयोजना) के माध्यम से आयुक्त महोदय से पत्रावली पर अनुमोदन प्राप्त कर योजना मानचित्र जारी कर दिया जावे।

### एजेण्डा संख्या-13

219/27.08.2014 (जोन-12)

विषय :- सनसिटी फेज-द्वितीय विस्तार प्रथम आवासीय योजना अनुमोदन बाबत।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर योजना का अनुमोदन निम्न निर्णय लिये जाकर किया गया।

1. प्रस्तावित योजना में मास्टर विकास योजना 2025 के अनुसार 48 मी. व 30 मी. की सड़क दर्शायी गई, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया।
2. ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के भूखण्ड आवेदक द्वारा सनसिटी फेज द्वितीय में प्रस्तावित किये गये हैं जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया।
3. योजना में स्थित भूखण्ड 1 के 4 से जेड 1 के 8 का आंशिक भाग खसरा सीमा से बाहर है, उसको छोड़कर शेष भाग का नियमन किया जाये।

### अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-1

219/27.08.2014 (जोन-6)

विषय :- सैक्टर 15 व 16 में विलोपित 160 फीट चौड़ी सेक्टर रोड (बोरिंग रोड) की चौड़ाई निर्धारण के सम्बन्ध में।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। प्रकरण में बीपीसी (एलपी) की 116वीं बैठक दिनांक 23.04.2008 में निर्णय लिया गया कि सेक्टर 13, 14 में प्रस्तावित 160 फीट चौड़ी सेक्टर रोड (क्वींस रोड से अजमेर रेलवे लाईन तक) एवं सेक्टर 19 में प्रस्तावित (अजमेर रेलवे लाईन से कालवाड रोड तक) 160 फीट सड़क को विलोपित किया जावें। चूंकि उक्त सड़क को पूर्व में 160 फीट मानते हुये जोन द्वारा योजनाएं अनुमोदित की गई हैं। सचिव, जविप्रा द्वारा गठित समिति द्वारा भी प्रश्नगत सड़क को 160 फीट रखने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण पर माननीय न्यायालय में पीआईएल विचाराधीन है, अतः उक्त परिपेक्ष्य में प्रकरण को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया व माननीय न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय दिया जाता है उक्तानुसार सड़क की चौड़ाई मानते हुये अग्रिम कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।





**अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-2**

**219/27.08.2014 (जोन-3)**

विषय :- सुदर्शनपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना स्कीम नं. 1 (गोलीमार गार्डन) के मुख्य सहकारी मार्ग पर स्थित कार्नर भूखण्ड संख्या 29, क्षेत्रफल 321.95 वर्गगज का भू-रूपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किए जाने के सम्बन्ध में।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा प्रस्ताव अनुसार प्रार्थी से 4 माह की अवधि में व्यावसायिक भू उपयोग मानदण्डों के अनुरूप सम्पूर्ण अनाधिकृत निर्माण को हटाने का शपथ पत्र लिये जाने के पश्चात मास्टर विकास योजना-2025 के अनुसार व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया। यदि 4 माह की अवधि में प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण अनाधिकृत निर्माण नहीं हटाया जाता है तो उस स्थिति में यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

**अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-3**

**219/27.08.2014 (जोन-15)**

विषय :- निजी खातेदार की आवासीय योजना ओमेक्स सिटी में आफोर्डेबल हाउसिंग हेतु आरक्षित ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. को रिलीज किये जाने के संबंध में।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 3(633)नविवि/3/2012 दिनांक 18.07.2012 के अनुसार जिन योजनाओं की 90बी की कार्यवाही दिनांक 23.12.2009 से पहले की जा चुकी है, उनमें आफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी के प्रावधान अनुसार ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. हेतु क्षेत्र/भूखण्ड लिया जाना आवश्यक नहीं है। अतएव जोन के प्रस्ताव अनुसार योजना के ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के भूखण्डों को सामान्य आवासीय में रिलीज किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि योजना क्षेत्र में अवस्थित जयपुर विकास प्राधिकरण भूमि के संबंध में जोन स्तर से पूर्ण जांच होकर प्रकरण भूमि एवं सम्पत्ति समिति की आगामी बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावे।

**अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-4**

**219/27.08.2014 (जोन- )**

विषय :- कृष्णा गृ.नि.स.स. की योजना मान सागर विस्तार से पूर्व में गैर अनुमोदित भूखण्ड संख्या 50से 60 का नियमन करने बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर जोन के प्रस्ताव अनुसार भूखण्ड संख्या 50 से 60 के अनुमोदन का निर्णय लिया गया।





**अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-5**


**219/27.08.2014 (जोन-15)**

विषय :- अजमेर रोड के दक्षिण की तरफ 60 मीटर प्रस्तावित सडक के अलाईमेंट के संबंध में एवं अजमेर रोड से सेज को जाने वाली 60 मीटर सडक के मास्टर विकास योजना 2025 की सडक में मिलान के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। प्रकरण को पुर्व में बीपीसी (एलपी) की 218वीं बैठक में रखा गया था जिसके निर्णय की अनुपालना में जोन द्वारा 60 मीटर प्रस्तावित सडक के एलाईमेंट का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। समिति ने विचार विमर्श कर उक्त सडक को जोन द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार ओमेक्स सिटी में सडक के कुछ भाग को यथावत रखकर आबादी क्षेत्र को बचाते हुये लूप बनाकर सडक के घुमाव को Smooth करते हुये अनुमोदित किया जावे एवं अजमेर रोड से SEZ को जाने वाली 60 मीटर सडक व मास्टर विकास योजना-2025 की 60 मीटर सडक को घुमाव देते हुये मास्टर क्रियेशन अनुमोदित योजना के गैर अनुमोदित भाग को रोड में सम्मिलित कर लूप बनाकर पुनः मास्टर विकास योजना-2025 की प्रस्तावित 60 मीटर चौडी सडक में Smooth Curve देते हुये मिलाया जावे। जहां भी सडकों पर जंक्शन बन रहे है उन पर जंक्शन प्लान बनाया जावे एवं उक्तानुसार सडक का नया एलाइमेंट निर्धारित कर आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये जावे।

उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्ति/सुझावों का निष्पादन कर प्रकरण को पुनः अनुमोदन हेतु बीपीसी (एलपी) की बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


  
अति. मुख्य नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव  
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)  
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/मा. प्लान/बीपीसी (एलपी)/2014/डी-307

दिनांक: 9/9/2014

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति. आयुक्त (पूर्व)/पश्चिम/एलपीसी/भूमि, जविप्रा, जयपुर।
5. उपायुक्त, जोन-.....जविप्रा, जयपुर।
6. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
8. उप रजिस्ट्रार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

  
अति. मुख्य नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव  
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)  
जविप्रा, जयपुर।